न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर द्वितीय (सांगानेर) जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : जगत राजेश्वर, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र संख्या : 74/2015
निर्णय दिनांक : 14.06.2018

उनवान

1. देवप्रकाश मीणा पुत्र श्री पांचू राम मीणा जाति मीणा, निवासी ए–39, मीणा नर्सरी, सूर्य नगर, तारों की कूंट, दुर्गापुरा, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।

प्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान आवासन मण्डल जोन मानसरोवर जरिये सचिव, जोन मानसरोवर, जयपुर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर।
3. महकमा पी.डब्ल्यू.डी. जरिये चीफ इन्जीनियर मुख्यालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जय क्लब के सामने, अजमेर पुलिया के पास, जयपुर।

अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 सपठित धारा 131, 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

प्रार्थना पत्र का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि –

1. यह कि ग्राम झालाना चौड़, तहसील सांगानेर, जिला–जयपुर में साबिक भूमि वादग्रस्त खसरा नं. 1 रकबा 40 बीघा स्थित रही जिसकी अवाप्ति के दौरान खसरा नम्बर 1/283 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्त कर महकमा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम अकित किया गया तथा शेष खसरा नम्बर 1 रकबा 38 बीघा 05 बीस्वा खातेदार के नाम रही। जिसका नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 26.8.1977 को स्वीकृत किया गया। खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा भूमि के हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 1 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 8 रकबा 0.44 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 11 रकबा 9.54 हैक्टेयर हुए। साबिक भूमि खसरा नम्बर 1 जिसकी अवाप्ति के दौरान खसरा नम्बर 1/283 रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा को अवाप्त कर महकमा पी.डब्ल्यू.डी. के नाम अंकित किया गया तथा रोड की भूमि की तरमीम भी सन् 1957 के राजस्व नक्शे में की गई। पूर्व में भूमि खसरा नम्बर 1 के भाग की अवाप्ति का खसरा नम्बर 1/283 जो कि वास्तविकता में हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 08 की भूमि है को न्यू सांगानेर रोड हेतु अवाप्त की गई। किन्तु राजस्व कर्मचारियों द्वारा तरमीम

खसरा नम्बर 1/287 का अंकन कर दिया। संवत 2040–2041 के राजस्व नक्शे में न्यू सांगानेर रोड को भूमि साबिक खसरा नम्बर 1 के हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 7 व 9 में अवैध रूप से दर्शित कर दी गई तथा भूमि खसरा नम्बर 07 व 09 महकमा पी.डबल्यू.डी. के नाम दर्ज कर दी गई। जबकि वास्तविकता यह है कि रोड भूमि खसरा नम्बर 08 में स्थित है। जिसकी पुष्टि साबिक राजस्व नक्शे से पूर्ण रूप से होती है तथा साबिक खसरा नम्बर 1/283 रकबा 01 बीघा 15 बीस्वा की मैट्रिक प्रणाली में परिवर्तित करने के पश्चात् लगभग 0.44 हैक्टेयर भूमि बनती है, जो कि खसरा नम्बर 8 के रकबे के समान है। जबकि भूमि खसरा नम्बर 7 व 9 का रकबा 0.50 हैक्टेयर है, ऐसी अवस्था में भी प्रथम दृष्टया साबित है कि भूमि खसरा नम्बर 1/283 की भूमि वास्तविक रूप से खसरा नम्बर 8 की भूमि है। भूमि खसरा नम्बर 08 की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा के पश्चात् ग्राम मानपुर देवरी उर्फ गोल्यावास स्थित भूमि खसरा नम्बर 457 की पूर्वी सीमा स्थित है तथा ग्राम झालाना चौड़ में राज्य सरकार द्वारा मानसरोवर आवासीय योजना हेतु ख.नं. 1 की अवाप्ति का गजट नोटिफिकेशन दिनांक 9.2.1982 को किया गया, जिसमें ख.नं. 1 की पश्चिमी सीमा का अन्तिम बिन्दु सोड़ला से सांगानेर जाने वाली रोड निर्धारित किया गया, जिससे प्रथम दृष्टया प्रमाणित है कि रोड प्रारम्भ होने वाले बिन्दु तक ही राज.आवा. मण्डल की भूमि है, पश्चिमी दिशा में राज.आवा. मण्डल की कोई भूमि नहीं है। भूमि खसरा नम्बर 457 की पूर्वी सीमाजोड़ के भू–भाग में बस्सी सीतारामपुरा 'बी' भवन निर्माण सहकारी समिति लिमिटेड की आवासीय योजना सुन्दर नगर में प्रार्थी का भूखण्ड संख्या 4 स्थित है। उक्त भूखण्ड पर प्रार्थी द्वारा पुख्ता निर्माण कर व्यवावसायिक भवन का निर्माण कर रखा है। प्रार्थी की सहखातेदारी की वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 8 के दक्षिणी एवं दक्षिणी–पश्चिमी सीमा पर विधिवत् स्थाई सीमा चिन्ह स्थापित नहीं किये गये। दिनांक 15.5.2015 को अप्रार्थी संख्या एक के कारकूनान आये तथा प्रार्थी से कहा कि प्रार्थी का भूखण्ड भूमि खसरा नम्बर 8 में स्थित है, इस पर प्रार्थी ने कहा कि प्रार्थी का भूखण्ड ग्राम मानुपर देवरी उर्फ गोलयावास, तहसील–सांगानेर, जिला–जयपुर में स्थित है, उक्त भूमि खसरा नम्बर 8 का भू–भाग नहीं है। इसलिए आप भूमि खसरा नम्बर 08 पर विधिवत् पुख्ता सीमाचिन्ह निर्मित करवावे। इस पर वे लोग उग्र हो गये तथा एलानिया कहा कि हम भूमि पर पुख्ता सीमा चिन्ह अंकित नहीं करवायेंगे तथा तुम्हारे भूखण्ड को ध्वस्त करेंगे। अप्रार्थीगण की उक्त कार्यवाही प्रार्थी के अधिकारों को आत्यन्तिक रूप से क्षति कारित करने वाली है। कि प्रार्थी अधिकारी है कि वे मान्य न्यायालय से वादग्रस्त भूमि पर विध्वित् परिनिर्मित स्थाई सीमा चिन्ह कायम करावे तथा वादग्रस्त भूमि के नक्शे मुं साबिक राजस्व नक्शे के अनुसार हाल राजस्व नक्शे में दुरूस्ती करवावे। राजस्व नक्शे में हुए अवैध इन्द्राज के कारण प्रार्थी के अधिकार गम्भीर रूप से प्रभावित हो रहे हैं, इसलिए प्रार्थी नियमानुसार दुरूस्ती करवाने का अधिकारी हैं। प्रार्थी को वादकरण अप्रार्थीगण के द्वारा दिनांक 15.5.2015 को जबरिया मनमाने एवं गैरकानूनी तौर तरीके से वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 457 की पूर्वी सीमा को स्वयं की खातेदारी की भूमि खसरा

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

नम्बर 8 की दक्षिणी पश्चिमी उस पर निर्मित भूखण्ड का ध्वस्त करने पर आमादा होने से उत्पन्न होकर निरन्तर जारी है।

प्रकरण में अप्रार्थी संख्या दो भू–धारक होने एवं राजस्व अभिलेखों का संधारण करने से पक्षकार बनाया गया है। वादग्रस्त कृषि भूमि ग्राम झालाना चौड़, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र सांगानेर, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित होने से विवाद की सुनवाई एवं निर्णित करने का क्षेत्राधिकार मान्य न्यायालय को प्राप्त होने के कारण उचित न्याय शुल्क पर प्रस्तुत किया गया है।

अतः प्रार्थना पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम झालाना चौड़ के नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 3.9.1977 स्वीकृतिनुसार गत खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा में से रकबा 01 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसमें तत्समय नवीन बटा नम्बर खसरा नम्बर 1/283 स्वीकृत हुए है का वर्तमान खसरा नम्बर 8 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम दर्ज करने तथा गत खसरा नम्बर 1 में से अवाप्तशुदा भूमि से शेष रकबा 38 बीघा 05 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1 रकबा 1.94 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 2 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 9 रकबा 9.10 हैक्टेयर की भूमि किस्म गैर मुमकिन राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम दर्ज करने के आदेश प्रदान करने की कृपा करें तथा सन् 1957 के राजस्व नक्शे में तरमीम कर काल्पनिक खसरा नम्बर 1/287 डाला गया है, को विलोपित कर खसरा नम्बर 1/283 में समावेशित करने के आदेश फरमावें।

प्रार्थना पत्र प्राप्त होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गई। अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से श्री शरतचन्द सेठी, अभिभाषक ने उपस्थित होकर वकालातनामा पेश किया गया जो शामिल मिसल है। वकील प्रार्थी की ओर से प्रार्थना पत्र आदेश 6 नियम 17 सपठित धारा 141, 151 सीपीसी का पेश किया। नकल वकील अप्रार्थी को दिलाई गई। वकील अप्रार्थी ने जवाब पेश न कर बहस करना जाहिर करने पर बहस प्रार्थना पत्र पर उभयपक्ष सुनी जाकर न्यायहित मे प्रार्थनापत्र स्वीकार किया जाकर वकील प्रार्थी को संशोधित प्रार्थना पत्र पेश करने हेतु निर्देशित किया जाने पर वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित प्रार्थना पत्र पेश किया गया। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से जवाब पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 2 की ओर से प्राप्त पत्र क्रमांक 5707 दिनांक 06.11.2015 के सन्दर्भ में स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाने हेतु पुनः लिखा गया। इसी दौरान वकील प्रार्थी की ओर से एक प्रार्थना पत्र आदेश 1 नियम 10 सीपीसी का पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील प्रार्थी को सुना जाकर न्याय हित में प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया व अप्रार्थी संख्या 3 के रूप में महकमा पी.डब्ल्यू.डी. जरिये चीफ इन्जीनियर मुख्यालय सार्वजनिक निर्माण विभाग जय क्लब के सामने, अजमेर पुलिया के पास जयपुर को पक्षकार संयोजित किया जाने पर वकील प्रार्थी द्वारा संशोधित उन्वान पेश किया गया जो शामिल मिसल है। अप्रार्थी संख्या 3 को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस बाद तामिल प्राप्त होने पर शामिल

उप–खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

मिसल किया गया। ... तरफा कार्यवाही अमल में लाई गई।

अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से दिनांक 29.12.2017 को ... वकील प्रार्थी उपस्थित होकर एक प्रार्थना पत्र आदेश 9 नियम 7 का पेश किया। वकील प्रार्थी को प्रार्थना पत्र पर कोई आपत्ति नहीं होने पर प्रार्थना पत्र स्वीकार किया गया। अप्रार्थी संख्या 3 की ओर से श्री मुकेश कुमार शर्मा एडवोकेट ने वकालातनामा एवं जवाब प्रार्थना पत्र पेश किया, पत्रावली वास्ते बहस रखी गई।

बहस वकील उभयपक्ष सुनी गई।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों का समर्थन करते हुए तर्क दिया कि –

1. खसरा नम्बर 1/287 काल्पनिक नम्बर को विलोपित करना है।
2. खसरा नम्बर 1/283 1 बीघा 15 बिस्वा सन् 1957 के नक्शे में पीडब्ल्यूडी के नाम करनी है जो नया खसरा नम्बर 8 रकबा 0.44 हैक्टेयर है जो लगभग उसी क्षेत्रफल का है।
3. खसरा नम्बर 7 व 9 राजस्थान आवासन मण्डल के नाम करने हैं।
4. बहस के दौरान पीडब्ल्यू.डी. विभाग ने यह स्वीकार किया है कि जयपुर विकास प्राधिकरण की स्थापना होने पर हमने अपना सिटी सर्किल ऑफिस खत्म करके जयपुर शहर की सभी सड़कें जे.डी.ए. में हस्तान्तरित कर दी है।

विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने अपनी बहस के दौरान प्रार्थी के द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र में चाहे गये अनुतोष के संबंध में अनापत्ति जाहिर की तथा विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 3 ने अपनी बहस के दौरान अपने जवाब के तथ्यों को दोहराते हुये विधि अनुसार आदेश पारित किये जाने का निवेदन किया है।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया व पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर यह पाया कि प्रार्थी के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में ग्राम झालाना चौड के नामान्तकरण संख्या 73 दिनांक 3.9.1977 स्वीकृतिनुसार गत खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा में से रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि जिसमें तत्समय नवीन बटा नम्बर खसरा नम्बर 1/283 स्वीकृत हुये हैं का वर्तमान खसरा नम्बर 8 रकबा 0.44 हैक्टेयर किस्म गैर मुमकिन सड़क पीडब्ल्यूडी विभाग के नाम दर्ज करने तथा गत खसरा नम्बर 1 में से अवाप्तशुदा भूमि से शेष रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा के नवीन खसरा नम्बर 1 रकबा 1.94 हैक्टेयर खसरा नम्बर 2 रकबा 2.40 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 3 रकबा 0.36 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 4 रकबा 0.02 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 5 रकबा 0.08 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 6 रकबा 0.04 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 7 रकबा 0.30 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 9 रकबा 0.20 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 10 रकबा 3.31 हैक्टेयर, खसरा नम्बर 11 रकबा 0.45 हैक्टेयर कुल किता 10 रकबा 9.10 हैक्टेयर की भूमि किस्म गैर मुमकिन राजस्थान आवासन मण्डल जयपुर के नाम दर्ज करने के आदेश फरमाने का निवेदन किया है तथा सन् 1957 के राजस्व नक्शे में तरमीम कर काल्पनिक खसरा नम्बर 1/287 डाला गया है, उसे विलोपित कर खसरा नम्बर 1/283 में समावेशित करने का निवेदन किया है।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

र्थी के प्रार्थना पत्र क
सांगानेर जिला जयपुर के द्वारा पर
चौड़ के खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा की खातदारी
2025 से 2028 के अनुसार रामसिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति चौधरा
के नाम दर्ज रिकार्ड है। न्यू सांगानेर रोड़ निकालने हेतु महकमा
यूडी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि सड़क हेतु
त करने पर जरिये नामा. संख्या 73 दिनांक 13.9.1977 के द्वारा रकबा 1
15 बिस्वा पी.डब्ल्यूडी के नाम दर्ज हुई। मुताबिक महकमा पीडब्ल्यूडी की
ाप्ति अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा के दो भाग हुए।
ाप्तशुदा भूमि पी.डब्ल्यू.डी. के खसरा नम्बर 1/283 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा
था खसरा नम्बर 1 रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा बदस्तूर खातेदारी रही। किन्तु
क्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1 के तीन भाग होना दर्ज है। जो खसरा नम्बर 1,
1/283, 1/287 है। किन्तु जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1/287 का इन्द्राज नहीं
है। नक्शा ट्रेस की तरमीम क रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 1/283 रकबा
1 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर तरमीम 15 बिस्वा की है तथा खसरा नम्बर
1/287 की रकबा बरारी 10 बिस्वा है।

इस प्रकार दोनों खसरा नम्बर 1/283 व 1/287 को सम्मिलित करने पर भी रकबे 1 बीघा 5 बिस्वा ही नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी है। इस प्रकार दोनों खसरा नम्बरान को सम्मिलित करने पर रकबा 10 बिस्वा की तरमीम नक्शा ट्रेस में कम है। तथा खसरा नम्बर 1 की रकबा बरारी 38 बीघा 15 बिस्वा है।

अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार की उक्त रिपोर्ट का अवलोकन करने पर यह तथ्य स्पष्टतः दृष्टिगोचर होता है कि "ग्राम झालाना चौड़ के खसरा नम्बर 1 रकबा 40 बीघा की खातेदारी मुताबिक जमाबन्दी संवत् 2025 से 2028 के अनुसार रामसिंह पुत्र गोरधन सिंह जाति चौधरी निवासी जयपुर के नाम दर्ज रिकार्ड है। न्यू सांगानेर रोड़ निकालने हेतु महकमा पीडब्ल्यूडी द्वारा उक्त खसरा नम्बर 1 में से 1 बीघा 15 बिस्वा भूमि सड़क हेतु अवाप्त करने के पर जरिये नामा. संख्या 73 दिनांक 13.9.1977 के द्वारा रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा पी.डब्ल्यूडी के नाम दर्ज हुई। मुताबिक महकमा पीडब्ल्यूडी की अवाप्ति अनुसार उक्त खसरा नम्बर 1 रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा बदस्तूर बीघा के दो भाग हुए। अवाप्तशुदा भूमि पी.डब्ल्यू.डी. के खसरा नम्बर 1/283 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा तथा खसरा नम्बर 1 रकबा 38 बीघा 5 बिस्वा बदस्तूर खातेदारी रही। किन्तु नक्शा ट्रेस में खसरा नम्बर 1 के तीन भाग होना दर्ज है। जो खसरा नम्बर 1, 1/283, 1/287 है। किन्तु जमाबन्दी में खसरा नम्बर 1/287 का इन्द्राज नहीं है। नक्शा ट्रेस की तरमीम क रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 1/283 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर तरमीम 15 बिस्वा की है तथा खसरा नम्बर 1/287 की रकबा बरारी 10 बिस्वा है।

इस प्रकार दोनों खसरा नम्बर 1/283 व 1/287 को सम्मिलित करने पर भी रकबे 1 बीघा 5 बिस्वा ही नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी है। इस प्रकार दोनों खसरा नम्बरान को सम्मिलित करने पर रकबा 10 बिस्वा की तरमीम नक्शा ट्रेस में कम है। तथा खसरा नम्बर 1 की रकबा बरारी 38 बीघा 15 बिस्वा है।

काल्पनिक खसरा नम्बर 1/287 को विलोपित किया जाकर खसरा नम्बर 1/283 में समावेशित किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उप-खण्ड अधिकारी
जयपुर (द्वितीय)

अतः अप्रार्थी संख्या 2 तहसीलदार सांगानेर की रिपोर्ट के अनुसार नक्शा ट्रेस की तरमीम रकबा बरारी करने पर खसरा नम्बर 1/283 रकबा 1 बीघा 15 बिस्वा के स्थान पर तरमीम 15 बिस्वा की है तथा खसरा नम्बर 1/287 की रकबा बरारी 10 बिस्वा है।

इस प्रकार दोनों खसरा नम्बर 1/283 व 1/287 को सम्मिलित करने पर भी रकबा 1 बीघा 5 बिस्वा ही नक्शा ट्रेस के अनुसार रकबा बरारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111, 128 सपठित धारा 131, 136 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 स्वीकार किया जाकर तहसीलदार सांगानेर को निर्देशित किया जाता है कि खसरा नं. 1/283, व 1/287 को जोडने पर भी 10 बिस्वा पी.डब्ल्यू.डी. की जमीन कम होने के कारण काल्पनिक खसरा नं. 1/287 को विलोपित करते हुए 10 बिस्वा बढाकर नक्शे में 1 बीघा 15 बिस्वा की सही तरमीम की जाकर वादग्रस्त भूमि साबिक खसरा नम्बर 1/283 हाल परिवर्तित खसरा नम्बर 8 की भूमि की दक्षिणी–पश्चिमी सीमा पर पुख्ता सीमा चिन्ह कायम करें।

आदेश

1. सन् 1957 के नक्शे में खसरा नम्बर 1/287 अंकित कर दिया जबकि तहसीलदार सांगानेर कि रिपोर्ट अनुसार व रिकार्ड में 1/287 का कही भी अंकन नहीं है इसलिये 1/287 को विलोपित किया जाता है।
2. सन् 1957 के नक्शे में 1/283 व 1/287 को जोड़ने पर भी 10 बिस्व पीडब्ल्यूडी की जमीन कम है। 1/287 को विलोपित करते हुए 10 बिस्व बढ़ाकर नक्शे में 1 बीघा 15 बिस्वा की सही तरमीम की जावे।
3. खसरा नम्बर 8 सार्वजनिक निर्माण विभाग के नाम किया जाता है।
4. खसरा नम्बर 7 व 9 राजस्थान आवासन मण्डल के नाम किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 14.6.2018 को सरे इजलास सुनाया गया।